





14. सामान्य वित्त व लेखा नियम/राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012/लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 की समस्त शर्त व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी समस्त निर्देश मान्य होंगे।  
नोट :-निविदादाता को तकनीकी निविदा व वित्तीय निविदा को पृथक्-पृथक् लिफाफों में सील बंद कर डालना होगा। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी, तकनीकी निविदा में असफल निविदा दाता की वित्तीय निविदादाता की वित्तीय निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
15. वित्त विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 जयपुर दिनांक 30.04.2018 संख्या 1/2018 की सभी शर्तें मान्य होगी।

उपरोक्त निविदा सूचना विभागीय वेबसाईट एवं [sppp.portal.raj.nic.in](http://sppp.portal.raj.nic.in) पर भी देखी व डाउनलोड की जा सकती है। एवं नियम व भातें कार्यालय समय में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

क्रमांक:-  
प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी राईस जयपुर।
3. श्रीमान उपकोशाधिकारी रानीवाडा।
4. संवाददाता राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर जालोर को प्रेशित कर लेख है कि निविदा को डीपीआर दर पर प्रकाशित करावे।
5. नोटिस बोर्ड मुख्यालय/मुख्यावास।
6. ए0सी0पी0 सामा0 न्याय अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर को प्रेशित कर लेख है कि उक्त निविदा सूचना शीघ्र वेबसाईट एवं [sppp.portal.raj.nic.in](http://sppp.portal.raj.nic.in) अपलोड करने का श्रम करे।
- 7- कार्यालय प्रति।

  
प्रधानाधिकारी  
देवनारयण रा. उ. मा. आचार्य वि  
आवासीय विद्यालय चाण्डपुरा, रानीवाडा (जालोर)  
दिनांक बाण्डपुरा (जालोर)

  
प्रधानाधिकारी  
देवनारयण रा. उ. मा. आचार्य वि  
आवासीय विद्यालय चाण्डपुरा, रानीवाडा (जालोर)